संख्या-55/2023/447/007-23-9-2023-01नाबार्ड(सेतु)/2021

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष्,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 07 मार्च, 2023

विषय -वित्तीय वर्ष 2022-23 में आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत अनुदान सं0-57/83 मद में 05 सेतुओं हेतु अवशेष धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 05 कार्यों हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल रू0 3026.74 लाख(जिसमें अनुदान सं0-57 से रू0 2384.77 लाख एवं अनुदान सं0-83 से रू0 641.97 लाख की धनराशि सम्मिलित है) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	मुख्य अभियंता(सेतु) का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधानिक लागत	अब तक आवंटन	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि		
									अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3318/CE-SEB/NABARD(BRIDGE)/PRJ/2022-23 Dt- 27-02-2023	कौशाम्बी	जनपद कौशाम्बी में विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर कौशाम्बी थाना-चक गुलाम आलम कछार (गढवा) कौशाम्बी-ताडी मुस्तकिल चित्रकूट मार्ग को जोडने हेतु नदी पर सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	88/2021/349/23-9-2021-22नाबार्ड(सेतु)/2020-दिनांक-06-04-2022	11697.29/11604.66	8772.97	92.63	2831.69	1700.94	457.89	2158.83
2	3319/CE-SEB/NABARD(BRIDGE)/MRT/2022-23 Dt- 27-02-2023	बुलन्दशहर	जनपद बुलन्दशहर में विधानसभा स्याना के ऊँचागांव के थाना गजरौला के माजरामाली की मडैया एवं जनपद अमरोहा के विरामपुर के मध्य गंगा नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	125/2021/आई0/88346/2021-फाईल नं0-23-9002(002)/2/2021-दिनांक-12-08-2021	8318.90/8255.13	5605.77	63.77	2649.36	597.09	160.73	757.82
3	3320/CE-SEB/NABARD(BRIDGE)/VNS/2022-23 Dt- 27-02-2023	जौनपुर	जनपद जौनपुर में नगेसरा-पुरेलला गांव के मध्य नगेसरा घाट पर बसुही नदी पर सेतु, पहुँचमार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग	03/2022/आई0/129509/2022-दिनांक-05-01-2022	771.35/708.35	637.51	0.00	133.84	27.91	7.51	35.42

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र.	मुख्य अभियंता(सेतु) का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/ प्रावैधानिक लागत	अब तक आवंटन	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि		
									अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण।								
4	3320/CE-SEB/NABARD(BRIDGE)/VNS/2022-23 Dt- 27-02-2023	जौनपुर	जनपद जौनपुर में मलेथू चौरी मार्ग के वरूणा नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	03/2022/आई0/129509/2022-दिनांक-05-01-2022	809.31/ 792.84	713.55	0.00	95.76	31.24	8.41	39.65
5	3321/CE-SEB/NABARD(BRIDGE)/MIR/2022-23 Dt- 27-02-2023	मिर्जापुर	जनपद मिर्जापुर के मड़िहान विधानसभा क्षेत्र के खम्भवा- वन-इमिलिया मार्ग पर (जरगो नदी डेम को जोड़ने वाले) बरई नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	75/2020/427/23-9-2020-08नाबार्ड(सेतु)/2020-दिनांक-27-03-2022	2237.91/ 1841.74	1714.63	0.00	523.28	27.59	7.43	35.02
				योग					**2384.77**	**641.97**	**3026.74**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक्पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 एवं यथा संशोधित शासनादेश सं0-23/2022/ बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक-04 नवम्बर, 2022 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 23,84,77,000 (रुपये तेईस करोड़ चौरासी लाख सतहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 5054041013400 नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य(*2*) रुपये 6,41,97,000 (रुपये छह करोड़ इकतालीस लाख सत्तानवे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047891600 नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभुनाथ
विशेष सचिव।
उ0प्र0 शासन

संख्या- उपरोक्त एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- प्रबंधक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ।
9- उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
11- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
12- राज्य योजना आयोग अनुभाग1/2
13- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
14- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
15- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
16- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।
उ0प्र0 शासन

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।